FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अदालत उप खण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

मुकदमा महिपाल बनाम चुडाराम 18 वर्ष 2016

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज 2016/00217	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
रिपोर्ट सरिश्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से श्री ... एडवोकेट हाजिर। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है, तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्येश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दु पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमियों को खुर्द बुर्द व हस्तानन्तरण करने तथा रहन के लिए आमादा हो रहे है। प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण आगामी पेशी दिनांक 10-2-16 तक विवाद ग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 385, 386 कुल किता 2 कुल रकबा 2.53 हे. ग्राम ... 2312, 2313, 2314, किता 3 कुल रकबा 2.39 हे ग्राम सिरोही अवस्थित ग्राम ... तहसील नीमकाथाना जिला सीकर के ... यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करे। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम 3(क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें ... अन्तरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व ... अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा ... अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस मय आदेश तलब किया जावे। पत्रावली दिनाक 10-2-16 को पेश हो।	

उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.07.16 16:39:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

17.9.17 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। P.O. अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 11/8/17 को पेश हो।

20.9.17 हिन्दू होने पर अवकाश घोषित पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। P.O. अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 31/10/17 को पेश हो।

31/10/17 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 15/1/18 को पेश हो।

15/1/18 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. I.P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 22/3/18 को पेश हो।

22/3/18 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. I.P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 11/6/18 को पेश हो।

11/6/18 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। P.O. अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 27/9/18 को पेश हो।

25/7/18 प्रार्थी फूलाराम आदि की ओर प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली आगामी तिथि से पूर्व तलब होकर पेश हुई। भूमि ख०नं० 385, 386, 2312 2313 2314 राजस्व ग्राम भोमगढ़ व सिरोही बाबत स्थगन आदेश पारित किया जाकर अप्रार्थीगण को पाबन्द कर रखा है। स्थगन आदेश मौके व रिकार्ड कि यथास्थिति का है रखा है। प्रार्थी ना तो प्रार्थना पत्र में पक्षकार है। अत: प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि नामान्तरण खोलने का आदेश पारित करें।

पत्रावली व प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र का पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि न्यायालय द्वारा ... 2-1-16 को अन्तरिम टी० आई० आदेश पारित ... कि ख०नं० 385, 386 किता 2 ... ग्राम भोमगढ़ व भूमि ... 2312, 2313 2314 किता 3 रकबा 2.39 हे० ग्राम सिरोही के मौके व रिकार्ड कि यथास्थिति बनाये रखने हेतु अन्तरिम आदेश पारित किया गया है।

ख०नं० 2312 2314, 2313 में प्रार्थी फूलाराम व भूराराम के हित में कोई नामान्तरण दर्ज किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

25/7/18

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.07.16 16:39:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

प्रार्थना पत्र बावत नवीन प्रार्थिया को तुलना तथा इस प्रार्थना पत्र पर नवीन प्रार्थिया को सुना गया। नवीन प्रार्थिया द्वारा प्रार्थी फूलाराम व मुन्नाराम के हिस्से की भूमि का नामान्तकरण दर्ज करने बावत सहमति-नामा एवं शपथपत्र पर अंकित किया है इनका कथन है फूलाराम मुन्नाराम के हिस्से तक नामान्तकरण दर्ज किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी फूलाराम आदि पत्रावली में पक्षकार भी नहीं है। इसलिए प्रार्थी फूलाराम मुन्नाराम को उनके हिस्से तक के लिए अन्तरिम रोक आदेश से मुक्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः न्यायालय द्वारा दिनांक 12-1-2016 को जो अन्तरिम रोक आदेश भूमि खे० न० 385 386 स्थित ग्राम भोमगढ़ व भूमि खे० न० 2312, 2313, 2314 स्थित ग्राम सिरोही बावत जो मौके व रिकार्ड पर यथास्थिति का आदेश पारित कर रखा है जिसमें से खे० न० 385 386 स्थित ग्राम भोमगढ़ व खे० न० 2312 2313 2314 स्थित ग्राम सिरोही में प्रार्थी फूलाराम व मुन्नाराम के नाम दर्ज हिस्से तक कि भूमि का नामान्तकरण दर्ज करने की इजाजत प्रदान की जाती है। न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 12-1-2016 प्रार्थी फूलाराम व मुन्नाराम के हिस्से तक की भूमि पर प्रभावी नहीं रहेगा। शेष भूमि पर न्यायालय द्वारा पारित आदेश यथावत रहेगा। पत्रावली दिनांक 5-9-18 को पेश हो।

अधिकारी

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

मुकदमा उप०। प्रा०पत्र 07 R 11 CPC की बहस मुल्तवी ने सुनी गयी। वास्ते निर्णय प्रा०पत्र पत्रावली दिनांक 26/2/2024 को पेश हो।

मुकदमा उप०। कार्याधिक्य के कारण निर्णय नहीं लिखा जा सका। वास्ते निर्णय प्रा०पत्र पत्रावली दिनांक 02/03/2024 को पेश हो।

मुकदमा उप०। प्रा०पत्र 07 R 11 CPC खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय मूल पत्र में लिखा जाकर और उपलब्ध [illegible] पत्रावली वास्ते तामील अप्रार्थी सं. 2 व जवाब हेतु दिनांक 29/3/24 को पेश हो।

26/3 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उपस्थित। P.O साहब ट्रेनिंग कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 12/4/24 को पेश हो।

12/4/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उपस्थित। P.O साहब ट्रेनिंग कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 7/5/24 को पेश हो। प्रार्थी [illegible] की ओर से [illegible] आदेश 01 R 10 CPC पेश किया। नकल वकील प्रार्थी को [illegible]।

7/5/24 कोरोना महामारी के प्रकोप को मद्दे नजर रखते हुए एकजाई आदेश पेशी दी जाने से पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 25/6/24 को पेश हो।

25/6/24 कोरोना महामारी के प्रकोप को मद्दे नजर रखते हुए एकजाई आदेश पेशी दी जाने से पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 17/8/24 को पेश हो।

17/8/24 मुकदमा उप० पक्ष उप०। वकील प्रार्थी ने प्रा०प० 01 R 10 CPC के जवाब हेतु समय चाहा, दिया जाकर पत्रावली 26/8/24 को पेश हो।

आदेश की तामील जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.07.16 16:39:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
26.8.24	पत्रावली पेश हुयी। वकुलाय उभय पक्ष उप० प्रार्थना पत्र O1R10 CPC पर उभय पक्षकारान को सुना गया। वकील प्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है अतः प्रार्थना पत्र O1R10 CPC स्वीकार किया जाकर निर्णित किया गया। पत्रावली वास्ते पेश होने संशोधित टाईटल दिनांक 10.9.24 को पेश हो।
10/9/2024	वकुलाय उप०। संशोधित शिविक व अप्रार्थी सं. की ओर से जवाब पेश हुआ। बकाया अप्रार्थीगण के जवाब हेतु अन्तिम मौका दिया जाता है। पत्रावली दिनांक 27/9/24 को पेश हो।
27/9/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व प्रदेशानुसार दिनांक 21/10/24 को पेश हो।
9/11	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 24/1/22 को पेश हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.07.16 16:39:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

19/1/24	वकुलाय उपप अप्रार्थी सं. 1 ता 4 मय वकील अनुपस्थित। बार-बार आवाज दिलवाई जाने पर भी इनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं। अतः अप्रार्थी सं. 1 ता 4 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 6/2/24 को पेश हो।
6/2/24	वकुलाय उपप बहस हेतु पुन: अवसर चाहा। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 8/2/24 को पेश हो।
	~~पत्रवली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित I.P.O. के अन्य कार्यो में व्यस्थ हैं। पत्रावलों पूर्व आदेशानुसार दिनांक ——— को पेश हो।~~
8/2	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक से आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 11/3/24 को पेश हो।
11/3/2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व वकील प्रार्थी अनुपस्थित। बार-बार आवाज दिलवायी जाने के उपरान्त भी प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली कैसल शुमार होकर नम्बर कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
कामां (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.07.16 16:39:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner